भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2600
(19 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

केरल में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

2600. श्री के. सुधाकरन:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन आदि जैसे प्रत्येक विशिष्ट घटक हेतु केरल के लिए आवंटित कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
(ख) वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान एनएसएपी के अंतर्गत केरल को प्रत्येक घटक के लिए संवितरण, आबंटित और जारी की गई वास्तविक धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ख): राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां (i) एनएसएपी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने; (ii) वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई निधियों को जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रिया का अनुपालन; (iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अपेक्षित वचन-पत्र प्रस्तुत करना, आदि के आधार पर जारी की जाती हैं। किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा इन मानदंडों का अनुपालन न करने पर उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को निधियां जारी किया जाना रोका जा सकता है। केरल के मामले में, अपेक्षित मानदंडों का पालन न करने के कारण वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान कोई निधि जारी नहीं की जा सकी। तथापि, पिछले वर्षों की लंबित देयता सहित चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य को 60,213.92 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 (13.12.2023 की स्थिति के अनुसार) के दौरान एनएसएपी की पेंशन योजनाओं अर्थात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) के अंतर्गत केरल राज्य के लिए आवंटित निधियों और राज्य को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रु लाख में)

वर्ष	आईजीएनओएपीएस		आईजीएनडब्ल्यूपीएस		आईजीएनडीपीएस	
	आवंटित	जारी	आवंटित	जारी	आवंटित	जारी
2021-2022	14329.60	0.00	7758.47	0.00	1109.99	0.00
2022-2023	14836.40	0.00	7758.47	0.00	1109.99	0.00
2023-2024 (13.12.2023 की स्थिति के अनुसार)	13691.96	36666.45	9859.85	20429.58	2180.88	3117.89

*****